



प्रेस नोट  
थाना छपरौली

दिनांक 28.08.2022

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 254/22 धारा 365 भादवि तरमीम धारा 364/302/201/34 भादवि का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू एवं मृतक का मोबाइल फोन बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.08.2022 को थाना छपरौली पर वादी रवि पुत्र विरेन्द्र निवासी पट्टी धन्धान कस्बा व थाना छपरौली ने सूचना दी कि उसका भाई सोनू उर्फ अनिरुद्ध उर्फ बादल उम्र करीब 25 वर्ष दिनांक 25.08.2022 को समय करीब 14.00 बजे से गायब है, जिसके सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 254/22 धारा 365 भादवि पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुये सोनू की तलाश शुरू की गयी ।



उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 365 भादवि का विलोपन कर धारा 364/302/201/34 भादवि की वृद्धि की गई ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के 254/22 धारा 364/302/201/34 भादवि का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू एवं मृतक का मोबाइल फोन बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदी के संबंध में थाना छपरौली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### बरामदगी का विवरण-

- निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू।
- निशादेही पर मृतक का मोबाइल फोन कीपैड सैमसंग DUOS

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-सादाब पुत्र फैयाज निवासी आर्यनगर पट्टी धंधान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 2-आबिद पुत्र बारू(सक्का) निवासी आर्यनगर पट्टी धंधान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत।

### गिरफ्तार करने वाली टीम –

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री देवेश कुमार सिंह थाना छपरौली।
- 2.उ0नि0 श्री राकेश त्यागी।
- 3.का0 115 पवन नागर।
- 4.का0 731 मनीष कुमार।



प्रेस नोट  
थाना बिनौली

दिनांक 28.08.2022

थाना बिनौली पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1- शाहिद कुरैशी पुत्र मुस्ताक निवासी बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सोनवीर सिंह थाना बिनौली ।
- 2- हो0गा0 413 सहन्सरपाल थाना बिनौली ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 28.08.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 669/22 धारा 504/506 भादवि व 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट एवं 66 आईटी एक्ट में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 669/22 धारा 504/506 भादवि, 3(2)5ए



एससी/एसटी एक्ट व 66 आईटी एक्ट में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-मनोज पुत्र सतीश निवासी इन्द्रा कालोनी निवाड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-अनुज पुत्र सतीश निवासी इन्द्रा कालोनी निवाड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-गौरव पुत्र कृष्ण उर्फ कृष्णपाल निवासी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री वीर सिंह ।

2-है०का० 92 जीतपाल सिंह ।

3-का० 179 सचिन ।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 27.08.2022

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 254/22 धारा 365 भादवि का सफल अनावरण करते हुए दो अभियुक्तों को हिरासत में लेकर अपहृत का शव बरामद किया ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.08.22 को रवि पुत्र विरेन्द्र स्व० श्री विजय सिंह निवासी पट्टी धन्धान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत ने थाना छपरौली पर तहरीर दी कि मेरा भाई सोनू उर्फ अनिरुद्ध दिनांक 25.08.22 समय करीब 14.00 बजे से गायब है । जिसके सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु०अ०सं० 254/22 धारा 365 भादवी पंजीकृत किया गया एवं सोनू की तलाश शुरू की गई ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 254/22 धारा 365 भादवि का सफल अनावरण करते हुए दो अभियुक्त को हिरासत में लिया है, एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### पूछताछ का विवरण:-

विवेचना के दौरान सोनू के पड़ोसी व दोस्त आबिद पुत्र बारू निवासी पट्टी धन्धान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत से पुलिस द्वारा पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि उसने और सादाब ने मिलकर सोनू की हत्या दिनांक 25.08.22 को छपरौली से कुछ किलोमीटर दूर एक गन्ने के खेत में कर दी है व उसके शव को वहां छिपा दिया है। आबिद की निशानदेही पर सोनू के शव को गन्ने के खेत से बरामद किया गया एवं शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी बागपत भेजा गया है।

### हिरासत में लिए गये अभियुक्तों का नाम व पता -

- 1- आबिद पुत्र बारू निवासी पट्टी धन्धान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 2- सादाब पुत्र फैय्याज निवासी पट्टी धन्धान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत।

### हिरासत में लेने वाली पुलिस टीम-

- 1.प्र0 नि0 श्री देवेश कुमार सिंह थाना छपरौली बागपत
- 2.उ0नि0 श्री राकेश त्यागी थाना छपरौली बागपत
- 3.का0 115 पवन नागर थाना छपरौली बागपत
- 4.का0 731 मनीष कुमार थाना छपरौली बागपत



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 28.08.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 20 पच्चा देशी शराब बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 20 पच्चा देशी शराब तोहफा उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-जगदीश पुत्र विष्णु निवासी संतोषपुर बाधू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- 20 पच्चा देशी शराब तोहफा उ0प्र0 मार्का ।

### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार।

2-का0 479 कुलदीप ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 28.08.2022

कोतवाली बागपत पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 06 बोतल किंग फिसर स्ट्रोंग बियर बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 06 बोतल किंग फिसर स्ट्रोंग बियर हरियाणा मार्का बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-सोनू पुत्र धर्मपाल निवासी फैजपुर निनाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- 06 बोतल किंग फिसर स्ट्रोंग बियर हरियाणा मार्का ।

### गिरफ्तार अभियुक्त सोनू का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0स0 802/16 धारा 323/354/354बी/452/504/506 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



2- मु0अ0सं0 833/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1-आबकारी निरीक्षक अजय कुमार बागपत ।
- 2-आबकारी है0का0 अश्वनी कुमार बागपत ।
- 3-आबकारी है0का0 दिनेश कुमार बागपत ।
- 4-का0 981 अंकित कुमार थाना को0 बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 28.08.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 10 बोतल व 04 अर्ध अर्ध देशी शराब बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 10 बोतल रसीला संतरा व 04 अर्ध रसीला संतरा अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-अर्जुन पुत्र किशनपाल निवासी गांव फैजपुर निनाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- 10 बोटल रसीला संतरा व 04 अध्धा रसीला संतरा अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का ।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

- 1-आबकारी निरीक्षक अजय कुमार बागपत ।
- 2-आबकारी है०का० दिनेश कुमार बागपत ।
- 3-आबकारी है०का० अश्वनी कुमार बागपत ।
- 4-का० 981 अंकित थाना को० बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 28.08.2022

**थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-मुकेश पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम खुब्बीपुर निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2- संजय पुत्र पूरन सिंह निवासी ग्राम सिसाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-अर्जुन पुत्र खेमचन्द निवासी मौहल्ला गायत्री पुरम करबा व थाना बागपत जनपद बागपत।
- 4-प्रवेन्द्र पुत्र सुखवीर निवासी सिसाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5-भूरा पुत्र गुलजार निवासी मौहल्ला कुरैशियान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-उप नि० श्री वीर सिंह थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-उप नि० श्री सोमपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत ।

4-का0 493 विवेक सिरोही थाना कोतवाली बागपत ।

5-का0 775 मजीत पूनियाँ थाना कोतवाली बागपत ।

6-का0 229 देवेश कसाना थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनाँक 28-08-2022

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 783/22 धारा

147/148/352/452/323/308/504/506 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को  
किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.08.2022 को थाना बडौत पर वादी तोसिफ पुत्र हक्कम निवासी सवाखेडी थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.नसीम पुत्र लियाकत, 2.समीम पुत्र लियाकत, 3.रिजवान, 4.छोटु,



5.लियाकत, 6.नूरहसन पुत्र इसलामु, 7.रमजान पुत्र इसलामु, 8.आबीद पुत्र सुभा, 9.मीरहसन पुत्र मेहरवान, 10.बाबू पुत्र इसलामु, 11.एक महिला, 12.एक महिला, 13.काला पुत्र मनवीर, 14.बाबू, 15.जमशेद निवासीगण सवाखेडी थाना बडौत द्वारा

उसके घर में घुसकर उसको व उसके परिजनो के साथ गाली-गलौच करते हुए लाठी-डण्डो व सरियों से मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दी । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 783/22 धारा 147/148/352/452/323/308/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 783/22 धारा 147/148/352/452/323/308/504/506 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-मीरहसन पुत्र मेहरबान निवासी ग्राम सवाखेडी थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2.आबिद हसन पुत्र सुभेदीन निवासी ग्राम सवाखेडी थाना बडौत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री शिवदत्त सिंह थाना बडौत ।
- 2-का0 1004 संजय सिंह ।
- 3-हो0गा0 211 रणवीर सिंह ।



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक 28-08-2022

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 212/22 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ एक गैस कम्प्रेसर, 26 लोहा नट बोल्ट, 02 LPG गैस स्पे व एक DL बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.08.2022 को थाना दोघट पर वादी श्री विजय पुत्र चांदपाल निवासी ग्राम ईदरीशपुर थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त शिवम पुत्र कृष्ण निवासी ग्राम पुसार थाना दोघट जनपद बागपत ने नाग मन्दिर बामनौली पर खडी उसकी



मोटरसाईकिल से बैग चोरी कर लिया, बैग में LPG गैस एक कम्प्रेसर प्रश, ATM CARD-3, PAINCARD, 500 रुपये, AADHAR CARD, DIGREE BA THIRD YEARS रखे थे । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 212/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 212/22 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ बैग व उसमें रखे हुए, एक गैस कम्प्रेसर, 26 लोहे के नट बोल्ट, 02 LPG गैस स्पे व एक DL बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-शिवम पुत्र कृष्ण निवासी बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत।

### बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ एक बैग।
- एक गैस कम्प्रेसर।
- 26 लोहे के नट बोल्ट।
- 02 LPG गैस स्पे।
- एक ड्राईविंग लाईसेन्स (विजय का)।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री रामकुमार।

2-उ0नि0 श्री नकुल राठी।

3-का0 951 पिताम्बर कुमार।





प्रेस नोट  
थाना खेकडा

दिनांक 28.08.2022

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 358/2022 धारा 147/308/323/324  
भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.08.2022 को वादी श्री राकेश शर्मा पुत्र शिवचरण निवासी ग्राम लहचौडा थाना चांदीनगर ने सूचना दी कि उसका लडका अरविन्द शर्मा सेन्ट मेरी इन्टर कालिज रटौल से घर वापस आ रहा था, तभी



रास्ते में दानिस के घर के सामने दानिस पुत्र वकील, जमील, शहजाद पुत्र वाहिद, शाहिल पुत्र मोमीन, हवीर पुत्र कदीर, आजाद पुत्र इकबाल, डैनी पुत्र इकलाश, कैस, अतीक, और इनके साथ 5-6 अज्ञात लोगों ने हाथों में लिये नुकीले धारदार हथियार, लाठी डन्डों से उसके लडके पर हमला किया जिससे उसके लडके को गम्भीर चोटें आई हैं। उसके लडके के साथ-साथ अक्षय पुत्र विजयपाल, प्रशान्त पुत्र अमरेश, सन्नी पुत्र देवेन्द्र आदि को भी चोटें आयी हैं। घटना के बाद अरविन्द बेहोश हो गया। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 358/2022 धारा 147/308/323/324 भादवि पंजीकृत किया गया।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0

358/2022 धारा 147/308/323/324 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-**

1. दानिश पुत्र वकील निवासी कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत।
2. शहजाद पुत्र अब्दुल वाहिद निवासी कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1.उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह।
2. का0 701 शौकीन्द्र।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 28.08.2022

थाना खेकडा पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान 02 अवैध शराब तस्करो को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 पेटी रायल चैलेंज व्हिस्की, 01 पेटी रायल स्टैग व्हिस्की, 01 पेटी व्हाइट एण्ड ब्लू व्हिस्की, 02 पेटी बीरा बूम बीयर व तस्करी में प्रयुक्त एक गाडी स्विफ्ट डिजायर बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे



से 01 पेटी रायल चैलेंज व्हिस्की, 01 पेटी रायल स्टैग व्हिस्की, 01 पेटी व्हाइट एण्ड ब्लू व्हिस्की, 02 पेटी बीरा बूम बीयर (कुल 05 पेटी) व तस्करी में प्रयुक्त एक गाडी स्विफ्ट डिजायर नं0 DL-7CS-0313 बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-विक्रान्त कुमार पुत्र दिलावर सिंह निवासी सादतपुर जौनमाना थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-अखिल पुत्र जयभगवान निवासी ग्राम बडका थाना बडौत जनपद बागपत ।

### बरामदगी का विवरण-

- 01 पेटी रायल चैलेंज व्हिस्की ।
- 01 पेटी रायल स्टैग व्हिस्की ।
- 01 पेटी व्हाइट एण्ड ब्लू व्हिस्की ।
- 02 पेटी बीरा बूम बीयर ।
- तस्करी में प्रयुक्त एक कार रिवफ्ट डिजायर नं0 DL-7CS-0313

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

#### थाना खेकडा पुलिस-

- 1.उ0नि0 मौ0 आसिफ ।
- 2.का0 24 तरुण कुमार ।

#### आबकारी टीम-

- 1.निरीक्षक अमर सिंह बौनाल क्षेत्र -3 खेकडा ।
2. आबकारी निरीक्षक वकार हैदर क्षेत्र-2 बडौत ।
3. है0कां0 अरविन्द कुमार ।
4. कां0 वैभव कुमार ।
5. कां0 दिनेश सोनी क्षेत्र-3 ।
6. कां0 आमिर खान क्षेत्र-2 ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 28.08.2022

थाना रमाला पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-सन्जु पुत्र जिले सिंह निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2- कादिर खान पुत्र हारून निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3- इनाम पुत्र जमील निवासी ग्राम टाण्डा थाना छपरौली जनपद बागपत ।  
हाल पता ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री कौशलेन्द्र सिंह थाना रमाला ।

- 2- व0उ0नि0 श्री सत्येन्द्र सिंह ।
- 3- उ0नि0 श्री धीरज कुमार ।
- 4- उ0नि0 श्री अमरदीप ।
- 5- है0का0 88 रामअवतार सिंह ।
- 6- का0 924 विशाल वासुदेव ।
- 7- का0 259 ओमकुमार ।